भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग,
नर्मदा मण्डल भोपाल

Government of India
Central Water Commission
Narmada Division, Bhopal

कोटेशन आमंत्रण सूचना क्र. 1/ न.मं.भो./के.ज.आ./ 2018-19/906-13 दिनांक03 /04/2018

कोटेशन आमंत्रण सूचना
Notice Inviting Quotation

भारत के राष्ट्रपति की तरफ से इस कार्यालय के निम्नलिखित कार्य के लिये मोहरबंद कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक **09/04/2018** को अपराह्न **12.00** बजे तक आमंत्रित किये जाते है जो कि उसी दिन **14.00** बजे उपस्थित कोटेशन दाताओ के समक्ष खोले जायेंगे।

On behalf of the President of India, sealed Quotations are invited for following works by the undersigned. The quotation should reach this office on or before **09/04/2018** upto **12:00 hrs** and will be opened same day at **14.00** hours in the presence of the quotationer.

कार्य का नाम:- किराए पर वाहन की सेवाए उपलब्ध कराने का कार्य।

क्र.	विवरण	वर्गीकरण	मात्रा	मासिक दर		रात्रि विश्राम दर (प्रतिरात्रि) (for Out Station Journey)		इकाई
				अंकों में	शब्दों में	अंकों में	शब्दों में	
1	मासिक किराये पर **एक बोलेरो** / समकक्ष वाहन की सेवायें, वाहन चालक सहित, **बिना ईंधन के**, नर्मदा बेसिन संगठन के क्षेत्राधिकार मे यात्रा हेतु ,वाहन की मरम्मत एवं वाहन का रखरखाव सहित उपलब्ध कराने का कार्य।	प्रति माह वाहन का उपयोग हेतु	एक वाहन					प्रति माह/ प्रति वाहन

क्र.	विवरण	वर्गीकरण	मात्रा	दर		इकाई
				अंकों में	शब्दों में	
2	प्रतिदिन किराये आधार पर **बोलेरो** / समकक्ष वाहन की सेवायें, वाहन चालक,**ईंधन** एवं वाहन का रखरखाव सहित ,स्थानीय यात्रा हेतु उपलब्ध कराने का कार्य।	(i) प्रति दिन 80 किलोमीटर वाहन का उपयोग हेतु	एक वाहन			प्रति दिन / प्रति वाहन
		(ii) 80 किलोमीटर के अतिरिक्त वाहन का उपयोग करने पर	एक वाहन			प्रति किलोमीटर
3	प्रतिदिन किराये आधार पर **बोलेरो**/ समकक्ष वाहन की सेवायें, वाहन चालक एवं **ईंधन सहित** नर्मदा बेसिन संगठन के क्षेत्राधिकार में यात्रा हेतु समस्त शासकीय टेक्स, रात्रि पड़ाव (Night halting), पार्किंग, एवं वाहन का रखरखाव सहित ।	(i) प्रति दिन 180 किलोमीटर वाहन का उपयोग हेतु	एक वाहन			प्रति दिन / प्रति वाहन
		(ii) 180 किलोमीटर के अतिरिक्त वाहन का उपयोग करने पर	एक वाहन			प्रति किलोमीटर
4	प्रतिदिन किराये आधार पर **इनोवा** / समकक्ष वाहन की सेवायें, वाहन चालक,**ईंधन** एवं वाहन का रखरखाव सहित ,स्थानीय यात्रा हेतु उपलब्ध कराने का कार्य।	(i) प्रति दिन 80 किलोमीटर वाहन का उपयोग हेतु	एक वाहन			प्रति दिन / प्रति वाहन
		(ii) 80 किलोमीटर के अतिरिक्त वाहन का उपयोग करने पर	एक वाहन			प्रति किलोमीटर

5	प्रतिदिन किराये आधार पर **इन्नोवा** / समकक्ष वाहन की सेवायें, वाहन चालक एवं **ईंधन सहित** नर्मदा बेसिन संगठन के क्षेत्राधिकार में यात्रा हेतु समस्त शासकीय टेक्स, रात्रि पड़ाव (Night halting), पार्किंग, एवं वाहन का रखरखाव सहित ।	(i) प्रति दिन 180 किलोमीटर वाहन का उपयोग हेतु	एक वाहन			प्रति दिन / प्रति वाहन
		(ii) 180 किलोमीटर के अतिरिक्त वाहन का उपयोग करने पर	एक वाहन			प्रति किलोमीटर
6	प्रतिदिन किराये आधार पर **सफारी** / समकक्ष वाहन की सेवायें, वाहन चालक ,ईंधन एवं वाहन का रखरखाव सहित सहित स्थानीय यात्रा हेतु उपलब्ध कराने का कार्य।	(i) प्रति दिन 80 किलोमीटर वाहन का उपयोग हेतु	एक वाहन			प्रति दिन / प्रति वाहन
		(ii) 80 किलोमीटर के अतिरिक्त वाहन का उपयोग करने पर	एक वाहन			प्रति किलोमीटर
7	प्रतिदिन किराये आधार पर **सफारी** / समकक्ष वाहन की सेवायें, वाहन चालक एवं ईंधन सहित नर्मदा बेसिन संगठन के क्षेत्राधिकार में यात्रा हेतु समस्त शासकीय टेक्स, रात्रि पड़ाव (Night halting), पार्किंग, एवं वाहन का रखरखाव सहित	(i) प्रति दिन 180 किलोमीटर वाहन का उपयोग हेतु	एक वाहन			प्रति दिन / प्रति वाहन
		(ii) 180 किलोमीटर के अतिरिक्त वाहन का उपयोग करने पर	एक वाहन			प्रति किलोमीटर
8	प्रतिदिन किराये आधार पर **इंडिगो**/ समकक्ष वाहन की सेवायें, वाहन चालक, ईंधन एवं वाहन का रखरखाव सहित स्थानीय यात्रा हेतु उपलब्ध कराने का कार्य।	(i) प्रति दिन 80 किलोमीटर वाहन का उपयोग हेतु	एक वाहन			प्रति दिन / प्रति वाहन
		(ii) 80 किलोमीटर के अतिरिक्त वाहन का उपयोग करने पर	एक वाहन			प्रति किलोमीटर
9	प्रतिदिन किराये आधार पर **इंडिगो**/ समकक्ष वाहन की सेवायें, वाहन चालक एवं ईंधन सहित नर्मदा बेसिन संगठन के क्षेत्राधिकार में यात्रा हेतु समस्त शासकीय टेक्स, रात्रि पड़ाव (Night halting), पार्किंग, एवं वाहन का रखरखाव सहित ।	(i) प्रति दिन 180 किलोमीटर वाहन का उपयोग हेतु	एक वाहन			प्रति दिन / प्रति वाहन
		(ii) 180 किलोमीटर के अतिरिक्त वाहन का उपयोग करने पर	एक वाहन			प्रति किलोमीटर

Terms and conditions:-

1	हस्ताक्षरित व मुहरबंद कोटेशन इस कार्यालय को दिनांक **09/04/2018** सायं 12.00 वजे या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए जो उसी दिन सायं 14.00 वजे अधोहस्ताक्षरी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोटेशन दाता या उनके प्रतिनिधि (जो उपस्थित रहना चाहे) की उपस्थिति में खोली जाएगी ।
	The quotation along with brochchure confirming to specification duly signed should reach this office on or before **09/04/2018** **upto 1200** hrs. and will be opened on same day at **14.00** hours in the presence of the bidder or their authorized representatives who so ever will be present (at their own cost) at the time of opening.
2	कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में रखी जानी चाहिए तथा लिफाफे पर कार्य का नाम "**किराए पर वाहन की सेवाएं, वाहन चालक सहित बिना ईंधन के, उपलब्ध कराने का कार्य**" लिखा होना चाहिए ।
	The sealed cover should be super scribed with words "**Quotation for Providing services of Motor Vehicle With Driver but without POL**"
3	भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम या किसी अन्य कोटेशन स्वीकार करने के लिए अपने आपको आवद्ध नहीं करते है और प्राप्त सभी कोटेशन या किसी भी कोटेशन को बिना कारण वताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

	On behalf of President of India the undersigned reserves the right to reject any or all the quotations and to alter the quantity without assigning any reasons thereof.
4	दर्शाये गये कार्य की मात्रा कार्यादेश के समय घट अथवा बढ सकती है ठेकेदार कथित दर पर कार्य निष्पादन हेतु वाध्य होगा।
	The quantity will be decreased or increased at the time of work order for which the contractor should bind to execution of work.
5	कोटेशन के रेट 90 दिनों तक विधिमान्य होने चाहिए।
	Rates should have a validity period upto 90 days.
6	कोटेशन में दर, अंकों एवं शब्दों में लिखी जानी चाहिये । यदि दोनों में अंतर पाया जाता है तो जिस दर का मूल्य कम होगा वही दर मान्य होगी ।
	In quotation all the rate should be indicated both in words and figures accurately. In case of any difference, the lesser of the two shall be treated as the final.
7	यह कार्यालय असफल कोटेशन की सूचना देने हेतु कोई कार्यवाही नही करेगा ।
	Intimation of unsuccessful quotation will not be given to concerned bidder bythis office.
8	यह ठेका किसी भी समय, विना कारण वताये, रद्द किया जा सकता है ।
	The contract can be cancelled at any time without assigning any reason.
9	संतोषजनक कार्य सम्पादन के पश्चात मासिक आधार पर प्री स्टॉम्ड रसीद विल (दो प्रतियों में) कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । जिससे RTGS/NEFT द्वारा भुगतान किया जाएगा ।
	Pre- stamp receipt bill in duplicate to be submitted on monthly basis after completion of work satisfactorily Payment will be released through RTGS/NEFT.
10	यदि ठेकेदार निवंधन व शर्तो तथा विनिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन में असफल रहता है तो यह विभाग उसे ब्लैक लिस्ट करने हेतु अन्य विभागों व स्वयं के विभाग के अन्य कार्यालयों को अनुशंसा कर सकता है।
	In case the contractor fails to work as per the specifications / requirements and term and conditions after quoting the rates for items, He/ She is likely to be recommended for black listing by various State / central Government Departments
11	सभी कटिंग व ओव्हरराइटिंग हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
	All cuttings / omissions should be sealed and signed.
12	मासिक देयक से सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स की कटौती नियमानुसार कर ली जाएगी।
	Taxes as applicable will be deducted at the source from the bill at the time of payment.
13	कोटेशन के मामले में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रेरण पूर्णतया निषिद्ध है।
	Canvassing whether directly or indirectly is strictly prohibited.
14	कोटेशन के साथ एक अलग लिफाफे में धरोहर राशि के रूप में रुपये 6000/- (रुपये छह हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत वैंक का वेंकर्स चैक / डिमांड ड्राफ्ट, जो कि अधिशासी अभियंता , नर्मदा मंडल, केंद्रीय जल आयोग को भोपाल में देय संलग्न करना होगा । लिफाफे के ऊपर "धरोहर राशि" लिखा होना चाहिये ।
	Bid security (earnest money) for an amount of Rs. 6,000/- (Rupees Six thousand only) should be deposited along with the quotation in the form of D.D./ Bankers cheque of Scheduled Bank in favour of Executive Engineer, Narmada Division, Central Water Commission, Bhopal payable at Bhopal.. in separate covers duly super scribed with " Earnest Money"
15	कोटेशन में दर्शायी गई दर के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी ।
	No other charges will be paid extra.
16	कार्य निष्पादन के सम्वन्ध मे उत्पन्न किसी भी तरह के विवाद की स्थिति मे, मामले को अधीक्षण अभियंता (स), नर्मदा वेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, भोपाल को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा एवं दोनो पक्ष मानने को वाध्य होंगे।
	Any dispute arising during execution of thiswork will be referred to Superintending Engineer (C), NBO, Central Water Commission Bhopal and his decision will be final and binding on both the parties.
17	कार्य निष्पादन के कोटेशन के साथ एजेंसी का स्थाई लेखा संख्या,GSTIN, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, एजेंसी द्वारा पूर्व में किये गये शासकीय कार्यों के सम्वंधित आदेश एवं कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा । उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में कोटेशन अस्वीकृत किया जा सकता है ।
	Valid PAN No., Goods & Service Tax No., Proof of valid Registration for such works mentioned in NIQ, past experience etc. should be enclosed with NIQ failing which the Quotation are liable to be rejected.
18	यदि कार्य निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा कार्य से सम्वंधित किसी निवंधन, शर्तों तथा विनिर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो यह ठेका रद्द किया जा सकता है ।
	On the breach of any term or condition of this contract by the contractor, the Accepting Authority/Engineer-in-Charge shall terminate this contract.
19	वाहन BS-IV Complaint होना चाहिये एवं दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये (अप्रैल 2016 के वाद का होना चाहिये)
	The vehicle provided should be atleast BS-IV Complaint and should not be more than 02 (Two) years old

	(model should be April 2016 or later)
20	ठेके की अवधि, कार्य शुरू होने की दिनांक से एक वर्ष रहेगी । जो विभाग एवं ठेकेदार की आपसी सहमति से बढाई जा सकती हैं ।
	The period of this contract shall be for One year from date of commencement of work and liable to be extended with mutual consent.
21	वाहन वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ऊंची घाटी, कच्ची पथरीली सड़क, नदी किनारे चलने में सक्षम होना चाहिये ।
	The vehicles are required to be operated in rough terrain, muddy areas, forest areas, river side, hilly terrain, high altitude areas etc.
22	उपलब्ध कराये जाने वाले सभी वाहन टेक्सी कोटा में पंजीकृत होना चाहिये । चूंकि नर्मदा वेसिन संगठन का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ राज्य है एवं कार्यालयीन यात्रा अन्य राज्यों में भी की जा सकती है, अत: वाहन के साथ अंतर्राज्यीय यात्रा हेतु अधिकारिक अनुमति पत्र होना चाहिये ।
	All vehicles provided should be registered under taxi permit. The area under the jurisdiction of NBO is MP and Chhattisgarh. However the official journey may have to be performed in other states. The vehicle should have valid interstate permit.
23	वाहन पूर्ण रूप से mechanically Fit एवं अच्छी कार्यकारी स्थिति में होना चाहिये । वाहन की आंतरिक एवं वाहरी स्थिति अच्छी होना चाहिये । वाहन के आगे एवं पीछे के suspension अच्छी स्थिति में होना चाहिये । सभी सीट आरामदायक एव उन परं नये कवर होना चाहिये । वाहन में नये पर्दे लगे होना चाहिये एवं Odometer कार्यकारी स्थिति में होना चाहिये ।
	The vehicle provided should be mechanically fit with perfect running and good condition in all respects including interior and exterior appearance. It should have perfect front and rear suspension and comfortable seats with new seat covers, curtains and odometer.
24	वाहन मरम्मत, रखरखाव, सुरक्षा, वीमा आदि का व्यय ठेकेदार के स्वयं वहन करना होगा ।
	All the expenditure of servicing, repairs, maintenance, safety and security taxes insurance, etc. will be borne by the contractor.
25	सभी पार्किंग, टोल टेक्स का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा । जो कि इस विभाग द्वारा मासिक देयक के साथ भुगतान रसीद की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा ।
	All Parking charges and Toll Tax will be initially paid by the contractor which will be reimbursed after production of receipt of payment with the monthly bill.
26	ठेकेदार को अधिकृत अधिकारी द्वारा दूरभाष पर प्राप्त ड्यूटी की जानकारी के अनुसार वताये गये समय पर वाहन उपलब्ध कराना होगा ।
	Intimation of duty by authorized officer over phone shall be considered by the contractor. As such the vehicle may also to be provided on telephonic demand .
27	कार्य शुरू करने के पूर्व वाहन चालक का पूर्ण वायोडाटा, फोटो परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा ।
	The bio-data of the driver along with copy of his driving license, photo identity card with his full address should be furnished to the EE Narmada Division CWC Bhopal before commencement of duty.
28	वाहन चालक का पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाणपत्र ठेकेदार द्वारा प्राप्त किया जायेगा ।
	The contractor must obtain police verification certificate for the drivers to be deployed.
29	वाहन चालक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के वीच होना चाहिये ।
	Age of the driver should neither be less than 18 years nor be more than 60 yrs.
30	वाहन चालक का व्यवहार नम्र होना चाहिये । वाहन चालक के लिये ड्यूटी के समय दौरान धुली हुई साफ ड्रेस पहनना अनिवार्य हैं । ।वाहन चालक के लिये ड्यूटी के दौरान वाहन में या कार्यालय परिसर में धूम्रपान करना वर्जित रहेगा ।
	Driver should be polite in behavior and should not misbehave with the users under any circumstances.Driver should be appropriately dressed which should be properly washed and ironed. Driver should not smoke; chew Pan/Pan masala/Tobacco inside vehicle both while driving. The driver should not be in an inebriated condition during duty hours.
31	ड्यूटी के दौरान वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, वीमा दस्तावेज, प्रदूषण प्रमाणपत्र, Fitness प्रमाणपत्र, आपातकालीन चिकित्सा किट (वाक्स) आदि दस्तावेज की मूल प्रति वाहन के साथ मौजूद रहना अनिवार्य रहेगा । वाहन की आपातकालीन मरम्मत हेतु वाहन चालक के साथ रुपये 5000/- नगद रूप में होना चाहिये ।
	While on duty, the driver should keep with him the original and up-to date registration certificate, tax token, insurance paper, pollution certificate, fitness certificate, permit, emergency medical kit etc. of vehicle along with valid driving license and sufficient fuel for duty. The contractor has to provide minimum amount with

	driver as imprest cash which is equivalent to Rs. 5000/- to attend any break down/maintenance/to arrange a vehicle in case the vehicle is stopped.
32	यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना, नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप हुये चालान के लिये ठेकेदार पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेंगे।
	Contractor is solely responsible for all actions including payment of any type of claims arising out on infringement of rules, challan, accident or any other unforeseen happening. The User is not at all responsible on these accounts.
33	ठेकेदार द्वारा वाहन चालक के लिये मोबाइल फोन उपलब्ध किया जायेगा ।
	The driver should posses a mobile telephone all the time with valid connection on his own/ contractor's cost.
34	यात्रा के दौरान वाहन खराब होने की स्थिति मे दूसरा समकक्ष वाहन प्रदाय करना होगा, एवं वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में ठेकेदार से रुपये 2000/- (दो हजार मात्र) प्रतिदिन की दर से अर्थदंड वसूल किया जायेगा ।
	During Jourany if any malfuncting of vechile than similr ulternative vechile will be provided otherwise penalty of Rs. 2000/- (Rupees two thousand only) per day will be levied if the contractor fails to provide vehicle for any of duty under terms and conditions.
35	यात्रा के दौरान वाहन द्वारा किसी दुर्घटना/ मृत्यु / वाहन की क्षति आदि मामलों की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । यह विभाग इस प्रकार के मामलों के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगा ।
	In case of any accident involving death / injury/ damage to vehicle, during journey the total responsibility for this shall be of contractor. The department will not entertain any claim from any party whatsoever, under the relevant clauses of Motor Vehicle Act / IPC.
36	वाहन चालक को श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी पूर्णरुप से ठेकेदार की होगी ।
	The engagement and employment of drivers and payment of wages to them as per existing provisions of various labour laws of regulations shall be responsibility of contractor.
37	कार्य क्रम सं.(1) हेतु वाहन का न्यूनतम माइलेज 12.00 कि. मी. प्रति लीटर होना अनिवार्य है ।
	Vehicle should have minimum milage 12.00 km per liter for vehicle mentioned in sr. no. 1
38	वाहन हमेशा कार्यालय परिसर में ही (रात्रि में भी) उपलब्ध होना चाहिये ।
	Vehicle should be parked in the office premises only including during night hours.
39	वाहन की सेवायें किसी भी दिन /समय (दिन - रात), अवकाश और रविवार के दिन भी ली जा सकती है ।
	Vehicle should be made available to the department any time including, holiday Sunday, night hours as per requirement.
40	कार्य क्र .(1) के अनुसार वाहन का उपयोग मासिक आधार पर किया जाएगा। लेकिन क्र.2,3,4,5,6 एवं 7 मे वर्णित वाहनो का उपयोग इस विभाग द्वारा "as and when required " कि स्थिति मे ही किया जाएगा
	As per item no. (1), the use of vehicle shall be done by the department on a monthly basis. However, the use of vehicles as mentioned in item No. 2,3,4,5,6 and 7 shall be on "as and when required"
41	ठेकेदार द्वारा प्रदाय की दर समस्त प्रकार के कर/ टेक्स सहित हो।
	The rates quoted by the contractor shall be inclusive of all the taxes.
42	वाहन की लॉग बुक का रख-रखाव विभाग के नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
	The log book of vehicle shall be maintained by the department authority.

अधिशासी अभियन्ता
नर्मदा मंडल , भोपाल

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियन्ता (समन्वय), केन्द्रीय जल आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. लेखा शाखा, नर्मदा मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।.
3. सहायक अधिशासी अभियंता / अनुविभागीय अभियंता, इंदौर / जबलपुर / होशंगाबाद/ भोपाल को सूचनार्थ । कृपया नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित / चस्पा करें ।
4. नोटिस बोर्ड, नर्मदा मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, भोपाल ।
5. www.cwc.nic.in पर प्रकाशन हेतु ।